महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

वित्त–समिति की 15 वी (09/06/2026) बैठक का कार्यवृत्तः

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.06.2026 मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ स्थित कैम्प कार्यालय में अपराह्न 12:00 बजे आहूत की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

क्र0स0	अधिकारी का पदनाम व नाम	पद
01	प्रो0 संजीव कुमार मा0 कुलपति,	अध्यक्ष
02	श्री जगनारायण झा अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़,	सदस्य, प्रतिनिधि वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
02	डॉ0 रमेश कुमार सिंह क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़,	सदस्य, प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (आनलाइन उपस्थित)
03	श्री आनन्द कुमार मौर्य कुलसचिव/परीक्षा नियत्रंक,	सदस्य
04.	प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ	कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य (आनलाइन उपस्थित)
05.	श्री शैलेश गिरि, वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

मद सं. 1– वित्त समिति की पिछली बैठक में लिए गए निणर्यो का सम्पुष्टीकरण।

मद सं. 2– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले कम्प्यूटर विज्ञान अभियान्त्रिकी (B.E) एंव विधि (B.A LL.B.) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत पाठ्यक्रमानुसार शिक्षको की नियुक्ति शिक्षकों/प्रवक्ताओं के हेतु वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2025–26 से कम्प्यूटर विज्ञान अभियान्त्रिकी एंव विधि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित है विश्वविद्याालय के पत्रांक 8699/कु0का0/2026 दिनांक 30 अप्रैल 2026 द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान अभियान्त्रिकी एंव विधि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत पाठयक्रमानुसार नियामक संस्थाओं के अनुसार शिक्षकों के नियुक्ति हेतु, वेतन/मानदेय निर्धारण एवं अन्य के सम्बन्ध में समिति की आख्या के साथ प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

निणर्य– मा0 कुलपति जी द्वारा दिनांक 29/4/2026 गठित समिति की संस्तुति के अनुसार

Scanned with OKEN Scanner

कम्प्यूटर विज्ञान अभियान्त्रिकी (B.E) कुल पद 24 Assistant professor
एवं विधि (B.A LL.B.) में कुल 12 Assistant professor
को नियत वेतन रू0 57700/ प्रतिमाह दिये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृती प्रदान किया गया, पदो की स्वीकृत कार्यपरिषद द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी। उक्त पदों का वेतनमान निम्नवत रहेगा।

PROPOSED PAY OF ADMINISTRATIVE CADRE

NAME OF THE POST	PROPOSED PAY
DIRECTOR	1,00,000.00 per month (fixed)

PROPOSED PAY OF ACADEMIC CADRE

NAME OF THE POST	PROPOSED PAY
PROFESSOR	75,000.00 per month (fixed)
ASSOCIATE PROFESSOR	68,000.00 per month (fixed)
ASSISTANT PROFESSOR	58,000.00 per month (fixed)

PROPOSED PAY OF SUPPORTING STAFF

NAME OF THE POST	PROPOSED PAY
SUPPORTING STAFF (CLASS III)	21,500.00 per month (fixed)
SUPPORTING STAFF CLASS (CLASS II)	16,000.00 per month (fixed)

मद सं. 3– विश्वविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" के नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

सूच्य है कि शासन के पत्रांक संख्या 2001/सत्तर–1–2025 दिनांक 19 नवम्बर 2025 एवं शिक्षा निदेशक(उ0शि) उ0प्र0 के पत्रांक डिग्री विकास 2334/2025–26 दिनांक 28/11/2025 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" के लिये दिशा निर्देश के क्रम में मा0 कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

निणर्य– समिति द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों (चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ) में प्रभावी व्यवस्था के अन्तर्गत "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" पद पर शासनादेश में वर्णित योग्यता/अर्हता वाले योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अधोलिखित प्रकार स्वीकृत प्रदान की

1. विना मानदेय के निशुल्क यदि कोई योगदान करना चाहें

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

2. रू0 5000 प्रतिदिन माह में अधिकतम 12 दिनों हेतु

मद सं. 4– एंडोमेंट मेडल(Endowment Medal)/प्रायोजित पदक (Sponsored Medal) दानदाताओं/परोपकारी संस्थाओं द्वारा दिये गए स्थायी धन(Endowment fund) के ब्याज से छात्र/छात्राओं को मेडल दिये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

निणर्य– सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त के सम्बन्ध में एक समिति का गठन कर संस्तुति प्राप्त करने एवं तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की।

अन्य बिन्दु मा0 कुलपति जी के आदेश से

मद सं.01– चैलेंज मूल्याकनं करने वाले शिक्षकों को न्यूनतम मूल्याकंन मानदेय देने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निणर्य– चैलेंज मूल्याकंन में चूकिं उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या अत्यन्त कम होती है अतः समिति ने सर्वसम्मति से रू0 300.00 न्यूनतम मूल्याकंन पारिश्रमिक धनराशि स्वीकृत किया गया ।

मद सं.02– वित्त समिति दिनांक 22.5.2025 में बिन्दु संख्या 12 में लिए गये निर्णय के अनुसार उत्तर पुस्तिका मूल्याकनं में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों के सूक्ष्म जलपान हेतु रू0 35/प्रति व्यक्ति से बढाकर 70/ प्रति व्यक्ति दर से किया गया था, पुनः दिनांक 3/2/2026 की वित्त समिति में शिक्षकों को देय दैनिक भत्ते में से 70 प्रति दिन के कटौती किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया था।
उपर्युक्त के क्रम में शिक्षकों के अनुरोध पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निणर्य– समिति ने प्रकरण पर विचार करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों (चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ) में प्रभावी व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 20/प्रतिदिन की कटौती की तरह महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय में रू0 35/प्रतिदिन की कटौती देय दैनिक भत्ते से किये जाने की संस्तुति की है।

(शैलेश गिरि)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
वित्त समिति

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner